सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री एम. जेड. रहमान, महाप्रबंधक (मा.सं.), दूरभाष क्रं. –0771–2574700

अपील प्रकरण क्रमांक 05/2018 दिनांक 27.07.2018

Shri Aman Upadhyay
Nandini Kunj, Street L-2
Ahead of Tayyab Masjid
Bhartiya Nagar, Bilaspur
(C.G.) Pin-495001

अपीलार्थी

O/o. E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 4811
Date 31 OCT 2018
AGM(IT)
SE (O)/SE
EE
Section

विरूद्ध

श्री सुनील कुमार खरे
जन सूचना अधिकारी
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., डंगनिया, रायपुर

प्रतिअपीलार्थी

31/10/18

01/11/18

–:: आदेश ::–

(दिनांक 24.10.2018 को पारित)

अपीलार्थी श्री अमन उपाध्याय की ओर से प्रकरण पर प्रथम अपील आवेदन प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो छ0ग0स्टे0पॉ0हो0कं0लिमि0, रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है। जिसे अपील प्रकरण क्रमांक 05/2018 दिनांक 27.07.2018 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री अमन उपाध्याय ने प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी से निम्नलिखित जानकारी चाही गई थी:–

Detailed syllabus for the exam of Assistant Engineer (AE) & Junior Engineer (JE) 2018 separately under RTI Act 2005 under following points :-

i. Name of the subjects & subject syllabus alloted of electrical engineering for assitant engineer exam.
ii. Name of the subjects & subject syllabus alloted of electrical engineering for junior engineer exam.2018
iii. Also which subjects would be covered under general awareness section in exam of AE & JE 2018.
iv. If current affairs are also in syllabus please mention.

v. Please provide previous year (of last 10 years) question papers for exam of AE & JE CSEB.

vi. Expected date of exam of AE & JE.

जनसूचना अधिकारी के द्वारा दी गई जानकारी से अपीलार्थी असंतुष्ट है। अतः अपील प्रस्तुत है, अतएव विषयांतर्गत वांछित जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें।

(3) उक्त प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अ./प्र.क्र. –05/2018/20 दिनांक 20.08.2018 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को **दिनांक 24.08.2018** को सांय 4.00 बजे व्यक्तिगत रूप से कक्ष क्रमांक जी –09 में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करनें हेतु निर्देशित किया गया, एवं अपीलार्थी श्री उपाध्याय को भी उनके द्वारा दिये गये पते पर स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण में अपना पक्ष/तर्क प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया। निर्धारित सुनवाई तिथि को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी उपस्थित एवं अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। अतएव प्रकरण पर सुनवाई की कार्यवाही संपन्न नहीं की जा सकी।

उपरोक्तानुसार अपीलार्थी को प्रकरण में अपना पक्ष रखने का समुचित (अंतिम अवसर) प्रदान करते हुए सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अ./प्र.क्र.–05/2018/22 दिनांक 06.10.2018 के माध्यम से अपील प्रकरण की सुनवाई पुनः **दिनांक 24.10.2018 को सांय 04:00** बजे निर्धारित करते हुए दोनो पक्षों को सूचित किया गया। निर्धारित सुनवाई तिथि को अपीलार्थी अनुपस्थित एवं प्रतिअपीलार्थी उपस्थित हुए। चुंकि अपीलार्थी को पक्ष प्रतिरक्षण प्रस्तुत करने का समुचित (02) अवसर दिये जाने पर भी वे सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए, अतएव अपील तथ्यों के आधार पर प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही की गई।

(4) प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा कंडिका 02/टीप में चाही गई बिन्दुवार जानकारी प्रबंधक (मा.सं.) –आठ, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर के कार्यक्षेत्र से संबंधित होने के कारण जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र क्रमांक 1102 दिनांक 08.05.2018 के द्वारा लेख किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में संबंधित प्रभाग द्वारा अपने यू.ओ.नोट क्रमांक 426 दिनांक 24.05.2018 के माध्यम से कुल 01 छायापृष्ठ में जानकारी उपलब्ध करायी गई। तत्पश्चात् कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1285 दिनांक 31.05.2018 के माध्यम से आवेदक को निर्धारित समयावधि के भीतर बिन्दुवार वस्तुस्थिति से अवगत करायी गई।

(5) सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपील पर निर्णय करना एक अर्द्ध न्यायिक कार्य है। अतः अपील के निराकरण में पूर्ण पारदर्शिता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत की अनुपालन अपेक्षित हैं। इसलिये अपीलीय अधिकारी के लिये यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि न्याय केवल हो ही नही, बल्कि वह होते हुए दिखाई भी दे। यद्यपि अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि किसी भी नागरिक को सभी विषयों पर सूचना दी जा सकती है, यदि जिस विषय पर सूचना मांगी गई

है। बशर्ते चाही गई जानकारी स्पष्ट व कार्यालयीन अभिलेखों/दस्तावेजों में उपलब्ध हो एवं अधिनियम के अनुरूप मान्य हो।

(i) उक्त तिथि को संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये।

(ii) अपीलार्थी का अपील आवेदन में तर्क कि जनसूचना अधिकारी द्वारा मूल आवेदन में पूछे गये subject syllabus for AE & JE electrical exam के संबंध में उचित जानकारी नहीं दी गई है। अतएव तत्संबंध में जो भी दस्तावेज है उन्हें प्रदान की जावे।

(iii) जिसके प्रत्युत्तर में प्रतिअपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि कंडिका 02/टीप में वांछित बिन्दुओं की जानकारी/दस्तावेज अपीलार्थी को उपलब्ध करायी गई है, जो निम्नानुसार है :–

a) बिन्दु क्रमांक 01 से 04 – छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., की भर्ती सूचना क्रमांक 244 दिनांक 06.04.2018 की कंडिका 8(a) एवं (b) का अवलोकन कर उक्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

b) बिन्दु क्रमांक 05 – आवेदक को ए.ई. एवं जे.ई. के कौन से ब्रांच का प्रश्नपत्र चाहिए यह स्पष्ट नहीं है। अतः जानकारी प्रदान किया जाना संभव नहीं है।

c) बिन्दु क्रमांक 06 – सहायक अभियंता (प्रशिक्षु)/कनिष्ठ अभियंता (प्रशिक्षु) पद पर भर्ती हेतु ऑनलाईन परीक्षा की तिथि के संबंध में पॉवर कंपनी की वेबसाईट www.cspc.co.in का अवलोकन कर उक्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(6) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उल्लेखित कंडिका 4/टीप में जो जानकारी/दस्तावेज अपीलार्थी को उपलब्ध करायी गई है, वह उचित एवं कंडिका 5(iii) में दिये गये प्रत्युत्तर, अपीलार्थी की शंका के समाधान हेतु पर्याप्त परिलक्षित होते हैं, जो तर्कसंगत है। अतएव प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा प्रकरण में जो कार्यवाही की गई है वह न्याय संगत है, जो स्वीकार योग्य है।

इसी अनुक्रम में लेख है कि कंडिका 5 (iii) (b) के बिन्दु क्रमांक 05 में अपीलार्थी के द्वारा ए.ई. एवं जे.ई. के पूर्व आयोजित (पिछले 10 वर्ष के) लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र चाही गई है, किन्तु उन्हे किस ब्रांच के प्रश्नपत्र चाहिए यह स्पष्ट नहीं होने के कारणवश जानकारी उपलब्ध नहीं करायी जा सकी। यदि अपीलार्थी संबंधित ब्रांच का स्पष्ट उल्लेख करते है तो कार्यालयीन अभिलेखों/दस्तावेजों में उपलब्ध जानकारी का अवलोकन कर, उक्त प्रकरण पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना संभव होगा। अतएव प्रकरण पर अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्त कंडिका 06 के दृष्टिगत दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 05/2018 दिनांक 27.07.2018) एतद् द्वारा नस्तीबद्ध की जाती है।

(एम.जेड.रहमान)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

क्रमांक 01–02/अपील प्रकरण –05/2018/ 31 रायपुर, दिनांक 24/10/2018

प्रतिलिपिः–

1. जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रबंधक (मा.सं.)–आठ, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. Shri Aman Upadhyay, Nandini Kunj, Street – L-2, Ahead of Tayyab Masjid, Bhartiya Nagar, Bilaspur, (C.G.), Pin – 495001 को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पताः– सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, अटल नगर
जिला–रायपुर (छ.ग.) पिन – 492002
दूरभाष–0771–2512106,2512108

(एम.जेड.रहमान)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700